यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–चिन्मय गोपाल, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः– 79/2004 राजस्व वाद
देबीलाल मुतबन्ना श्रीराम विश्नोई, उम्र बालिग निवासी जवाहरनगर–भीलवाड़ा तहसील जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम ------वादी

श्रीमति मांगी बाई पत्नि श्री वल्भ विश्नोई, उम्र बालिग निवासी आजादनगर, देवनारायण मंदिर के पास, पेट्रोल पम्प के पीछे, आजादनगर–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति रामू पिता सोहनलाल विश्नोई पत्नि देबीलाल विश्नोई (गोड) निवासी विश्नोई पंचायत नोहरा के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवम् धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बाबत खातेदार काश्तकार घोषित करवाने, इन्द्राज दुरूस्ती एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

-श्री भैरूलाल वैष्णव, – एडवोकेट–वादी
-श्री कैलाश चन्द्र सोमाणी, – एडवोकेट–प्रतिवादी सं. 1 व 2

:: नि र्ण य :: दिनांकः–11.12.2017

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र न्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड न्यू एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

छोटू

भंवरलाल(फौत) | सुखलाल(फौत) | लालू(फौत) | नाथू(फौत)

भंवरलाल(फौत) → श्रीमति मांगीबाई (प्रतिवादी सं.1)

सुखलाल(फौत) → रामचन्द्र | श्रीराम (लाऔलाद फौत) | सोहनलाल

उपखण्ड अधिकारी

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के ...ील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को ...किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादपत्र के खण्डन में प्रस्तुत ...व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया ...की वार निर्णय इस प्रकार पारित किया गया।

...म्बर 1:–

" आया वादी का वाद पत्र के अनुसार वादी वाद को डिकी कराने के ...है, इस तनकी को सिद्व कराने का जिम्मा वादी पर था। विवादित आराजियात ...पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर श्रीराम पिता ...विश्नोई साकिन्र भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबदी ...सम्वत् 2041 से 2044 से होती हैं। आराजी नम्बर 3801 रकबा 1 बीघा 14 ...मांगीबाई पत्नि सुखलाल, रामू पुत्री सोहन, नाबालिग बबिलयात मांगी पुत्री ...विश्नोई साकिन भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व ...जमाबदी की नकल सम्वत् 2067 स 2069 की जमाबंदी की नकल से होती हैं। ...का खाता श्रीराम पिता सुखलाल विश्नोई साकिन भीलवाड़ा के बजाय श्रीमति ...पुत्री सुखलाल, रामू पुत्री सोहन नाबालिग बबिलायत मांगीबाई पुत्री सुखलाल ...साकिन भीलवाड़ा के नाम दर्ज हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत इंतकाल नम्बर 1177 से ...प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वादी द्वारा गोद पुत्र के ...कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। जबकि वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने ...प्रस्तुत कर वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित सजरे को गलत बताया गया व ...जवाबदावा में सजरा प्रस्तुत किया है उसे सही होना अंकित किया हैं। इस बाबत ...कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अतः यह तनकी वादी के ...तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

...नम्बर 2:–

" आया वादी का वाद पत्र का जवाब के अनुसार वादी का वाद पत्र खारीज ...इस तनकी को सिद्व कराने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर था। जैसाकि ...नम्बर 1 के विवेचन से भी स्पष्ट हो चुका है कि वादी द्वारा अपने जिम्में की ...को सिद्व कराने में असफल रहा है तथा गोद पुत्र के संबंधित कोई दस्तावेज ...नही है जो सजरा अंकित किया है उक्त सजरे को भी वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य ...नहीं कराया हैं। जबकि वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादपत्र के खण्डन में ...जवाबदावा के अनुंसार वादपत्र की कलम नं0 1 में सजरे को गलत बताया गया हैं। ...तनकी वादी के विरुद्व तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो ।

(चिन्मय गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 11.12.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner